कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: अ0छा0क0/67 | दिनॉक: फरवरी 22, 2018

समस्त अधिष्ठाता

विश्वशविद्यालय की शैक्षिक नियमावली (Acadimic Regulation) में प्राविधान है कि यदि कोई विद्यार्थी शैक्षिक परिवीक्षा (Acadimic Probation) अथवा चारित्रिक परिवीक्षा (Conduct Probation) पर है तो वह किसी प्रकार की छात्रवृत्ति/अध्येयतावृत्ति अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं हैं।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी परामर्शदाताओं (Advisors) को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे अपने स्तर से किसी भी विद्यार्थी का छात्रवृत्ति/अध्येयतावृत्ति/आर्थिक सहायकता हेतु आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय उस पर प्रमाण पत्र अंकित करें कि सम्बन्धित विद्यार्थी शैक्षिक परिवीक्षा (Acadimic Probation) अथवा चारित्रिक परिवीक्षा (Conduct Probation) पर नहीं है। किसी भी विद्यार्थी का आवेदन पत्र परामर्शदाता के उपरोक्त प्रमाण पत्र के अभाव में इस कार्यालय द्वारा सम्बन्धित विभागों को अग्रसारित नहीं किया जा सकेगा।

22.02.2018
(आर0 एस0 जादौन)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि :

1. समस्त छात्रावास अभिरक्षकों को विद्यार्थियो के मध्य इस आशय से प्रचार हेतु कि विद्यार्थी अपने परामर्शदाताओं से उपरोक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही अपने आवेदन पत्र इस कार्यालय में जमा करें।
2. समस्त महाविद्यालयों/पुस्तकालय/कुलसचिव कार्यालय/अधिष्ठाता स्नातकोत्तर/सी.सी.एफ के नोटिस बोर्ड पर विद्यार्थियों के सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी विश्वविद्यालय वेवसाईट को विश्वविद्यालय वेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।